

फर्द अहकाम

न्यायालय — उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जम्मु)

मुज्जी बनाम हनुमान वर्मा

मुकदमा संख्या/वर्ष

: 81 / 2015

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>हक का कलम नहीं करेगा न ही भाषण में करेगी। उक्त भूमियों से वादिया का एवं उनके वारिसों का कोई सम्बन्ध नहीं है राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार ही उक्त भूमियों के काबूनी हक रखते हुए उक्तका उपयोग उपभोग करें। बैचन, हस्तांतरण करें एवं खातेदारी अधिकारों का प्रयोग करें। उससे वादिया कोई हक/कलम नहीं करेगी सम्पूर्ण हक अधिकार प्रतिवादीगण के हक में रहेंगे। भाषण में उक्त भूमियों वादत कोई वाद नी काश्चाही वादिया एवं उनके वारिसों द्वारा नहीं किया जावेगा। अतः वाद खासियत किया जावे। प्रस्तुत राजीनामा को स्वीकार किया जाता है। तथा वाद को इती स्तर पर खासियत किया जाता है। राजीनामा तस्वीक किया गया।</p> <p style="text-align: right;"> पत्रावली फौजला भुमार लेखक गमर से कर हा वादिया काबिल इकर हा (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ </p>